



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP/2008/01/2018/EP/2


e-Stamp

Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 Paid Fee
 Record Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP/2008/01/2018/EP/2
 27-Aug-2021 10:48 PM
 MEMORANDUM (MV) 4818411404 KARCHHANA/UP-AND
 SUBN-UP/01/4811404/2008/01/2018/EP/2
 K P OJHA ADV NOTARY
 Article 42 Notarial Act
 Not Applicable
 K P OJHA ADV NOTARY
 DEPOSIT
 K P OJHA ADV NOTARY
 10
 (Tec only)

710

IN-UP/2008/01/2018/EP/2



E Notary Ticket



www.epstamp.gov.in



Stamping Agent

The Government of Uttar Pradesh, Prayagraj, shall be responsible for the collection of stamp duty on the documents and the payment of the same to the Government of India. The Government of Uttar Pradesh shall be responsible for the collection of stamp duty on the documents and the payment of the same to the Government of India.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

24 JUNE 2023



उत्तर प्रदेश GOVT. OF UTTAR PRADESH

(प्रारूप-"अ")

GS 018513

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नॉटरी शपथ-पत्र

इस राजपाल सिंह एवं वीरेंद्र कुमार पटेल कमरा अध्यक्ष एवं सचिव श्री राम लखन स्मरक ट्रस्ट बेन्दी करछना प्रयागराज शपथपूर्वक निम्नगत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा विद्यावती इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बेन्दी करछना प्रयागराज नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम बेन्दी करछना प्रयागराज में प्लॉट संख्या 827 एवं 2 एकड़ रकबा 0.8093 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8093 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बंध किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त प्लॉट पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के प्लॉट संख्या 827 एवं 2 एकड़ रकबा 0.8093 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8093 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 14/11/2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान की संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लॉट पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

For Shri Ram Laxmi
Smarak Trust

Chief Trustee
(Raj Pal Singh)

K

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही किलोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अगता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टान इदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् चण्डप्र लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईआईआई आदि का संचालन व तो पूर्व में कभी किया गया है, और नही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षाएं सभ, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक सैमिक एवं असीमिक स्टफ की तैयारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का सतीभूति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय सततीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी मपी जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्देश अतिन होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अमिलेख/दस्तावेज कभी, कुररहित अथवा कृतिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। एसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं सभ उत्तरदायी होऊँगा।



[Signature]
हउ सचिव

Dr. Sita Ram Laxhan
आचार्य

[Signature]
Chief Trustee
(Pal Pal Singh)

FOOTNOTES AFFIRMED BEFORE ME ON
 ON 30-08-2020
 At Pal Pal Singh
 A Advocate to be
 affidavit is true and correct which is
 signed and attested.

[Signature]
Kanteshwar Pr.
Advocate, NCT
Prayagrah